2022

जनवरी/फरवरी चक्र

(2023 प्रवेश सत्र के लए)

सूचना बुलेटिन

आयु र्वज्ञान मे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के साथ प्रत्यायन हेतु

✦ ब्रॉड व शष्टता मे डप्लोमा पाठ्यक्रम*

- एनेस्थि सयोलॉजी
- प्रसूति एवं स्त्री रोग
- बाल रोग
- फे मली मे ड सन
- नेत्र वज्ञान
- ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी (ईएनटी)
- रे डयो निदान
- क्षय रोग और छाती के रोग

* उपरोक्त आठ डप्लोमा योग्यताएं भारत का राजपत्र अ धसूचना दिनांक 06-08-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त योग्यताएं हैं.

सूची

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
1. परिचय	4
2. एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम	5
3. एनबीईएमएस प्रत्यायन के लिए आवेदन	**(6-15)**
A. सामान्य निर्देश	6-8
B. ऑनलाइन प्रत्यायन आवेदन पोर्टल	8-9
C. आवेदन संकलन और सबमिशन	9-10
D. प्रत्यायन शुल्क	10-12
E. आवेदन का प्रसंस्करण	13-15
4. न्यूनतम प्रत्यायन मानदंड	**(15-26)**
(I). आवेदक अस्पताल	
A. नैदानिक प्रतिष्ठान	15-16
B. आवेदक अस्पताल की बिस्तर क्षमता	16-17
(II). आवेदक विभागों में आवश्यकताएँ	
A. आवेदक विभाग/अस्पताल की विशेषता में बिस्तर	17-18
B. आवेदक विभाग/ विशेषज्ञता में संकाय	19-23
C. आवेदक विभाग/ विशेषज्ञ में रोगी भार	23-25
D. भौतिक सुविधाएं और सहायक सेवाएं	25-26
5. मान्यता प्राप्त अस्पताल के लिए दिशानिर्देश	**(27-31)**
A. प्रशिक्षु द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क	27-28
B. वजीफ़ा दिशानिर्देश	28-29
C. आवेदक अस्पताल के पदाधिकारी	29-30
D. शिकायत निवारण समिति (मान्यता प्राप्त अस्पताल)	30-31
6. प्रत्यायन उद्देश्यों के लिए संचार प्रोटोकॉल **7.** अनुलग्नक अनुलग्नक 1 (भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 06-08-2020) अनुलग्नक 2 (नमूना प्रत्यायन समझौता) अनुलग्नक 3 (सार्वजनिक सूचना दिनांक 15-01-2021)	**(31-32)** **(34-53)**

महत्वपूर्ण तिथियाँ

तालिका 1

आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभ तिथि	08/02/2022
आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	30/04/2022
एनबीईएमएस कार्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त होने की अंतिम तिथि।	31/05/2022

1. परिचय

अ खल भारतीय आधार पर आधुनिक च कत्सा में स्नातकोत्तर परीक्षाओं के उच्च और समान मानकों को स्था पत करके च कत्सा शक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा 1975 में आयु र्वज्ञान मे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की स्थापना की गई थी। एनबीईएमएस अनुमोदित वषयों में स्नातकोत्तर और पोस्ट-डॉक्टरल परीक्षा आयोजित करता है, जिसके उत्तीर्ण होने पर डप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) और फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड (एफएनबी) की उपा ध मलती है।

स्नातकोत्तर च कत्सा परीक्षा और प्र शक्षण आयोजित करने के लए एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना ने न्यूनतम स्तर के वांछित ज्ञान और दक्षताओं के मूल्यांकन और उद्देश्यों की पूर्ति के लए सामान्य मानक और तंत्र प्रदान कया है जिसके लए च कत्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू कए गए हैं।

एनबीईएमएस डप्लोमा योग्यता की मान्यता*

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जा मनेशन इन मे डकल साइंसेज द्वारा प्रदान की जाने वाली एनबीईएमएस डप्लोमा योग्यता भारत सरकार की अ धसूचना दिनांक 06-08-2020 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त च कत्सा योग्यता है। (अनुलग्नक 1)

2. एनबीईएमएस डप्लोमा पाठ्यक्रम

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जा मनेशन इन मे डकल साइंसेज निम्न ल खत पोस्ट एमबीबीएस 2 वर्षीय एनबीईएमएस डप्लोमा पाठ्यक्रम संचा लत करेगा::

पोस्ट एमबीबीएस डप्लोमा पाठ्यक्रम

ता लका 2

क्रस.	व शष्टता	आहर्ता का नाम
1	एनेस्थि सयोलॉजी	DA (NBEMS)
2	प्रसूति एवं स्त्री रोग	DGO (NBEMS)
3	बाल रोग	DCH (NBEMS)
4	फे मली मे ड सन	D Fam. Med. (NBEMS)
5	नेत्र वज्ञान	DO (NBEMS)
6	ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी (ईएनटी)	DLO (NBEMS)
7	रे डयो निदान	DMRD (NBEMS)
8	क्षय रोग और छाती के रोग	DTCD (NBEMS)

3. एनबीईएमएस के साथ प्रत्यायन के लए आवेदन

A. सामान्य निर्देश

3.1. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जा मनेशन इन मे डकल साइंसेज (एनबीईएमएस) अस्पतालों / संस्थानों को आठ व्यापक व शष्टताओं में पोस्ट एमबीबीएस 02 वर्षीय डप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लए मान्यता देता है।

3.2. इनमें से कोई भी पाठ्यक्रम चलाने के इच्छुक अस्पताल/संस्थान एनबीईएमएस के साथ प्रत्यायन के लए आवेदन कर सकते हैं।

3.3. तीन साल के डीएनबी/डीआरएनबी पाठ्यक्रम चलाने वाले अस्पताल, आठ व शष्टताओं में से कसी एक में, जिसके लए डप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कया गया है, समान बुनियादी ढांचे वाले डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए भी आवेदन कर सकते हैं। तथा प, जिस संकाय(faculty) को डीएनबी पाठ्यक्रम के लए वचार कया गया है, उस पर डप्लोमा पाठ्यक्रम के लए वचार नहीं कया जाएगा अर्थात आवेदक अस्पताल को डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए अलग संकाय की आवश्यकता होगी।

3.4. एमसीआई/एनएमसी पाठ्यक्रम और एनबीईएमएस डप्लोमा पाठ्यक्रम एक ही अस्पताल में एक ही वशेषता में एक साथ नहीं चल सकते क्यों क वे समान बिस्तर, संसाधन और संकाय साझा करते हैं।

3.5. प्रत्यायन का अनुदान केवल एनबीईएमएस के ववेक पर है और एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रत्यायन मानदंड की पूर्ति के अधीन है।

3.6. केवल आवेदक अस्पताल का ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र का ऑनलाइन जमा करना/मान्यता शुल्क का भुगतान/निर्धारित मान्यता मानदंडों की पूर्ति आवेदक अस्पताल/संस्थान को मान्यता प्रदान करने के लए पात्र नहीं बनाता है या इसका मतलब यह नहीं है क एनबीईएमएस को आवेदक अस्पताल/ संस्थान को प्रत्यायन देना ही होगा।

3.7. एनबीईएमएस प्र क्रया के दौरान कसी भी स्तर पर इस सूचना बुलेटिन में दिए गए कसी भी या सभी मानदंडों को बदलने/संशो धत/हटाने/संशो धत करने के अपने पूर्ण अ धकार सुर क्षत रखता है।

3.8. आवेदक अस्पताल/संस्थान के पास उनके पक्ष में कोई अ धकार या इक्विटी केवल इस लए नहीं होगी क्यों क उन्होंने एनबीईएमएस के साथ मान्यता प्राप्त करने के लए अपना आवेदन जमा कर दिया है।

3.9. आवेदक अस्पतालों/संस्थानों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले पात्रता मानदंड को पूरा करने के लए सूचना बुलेटिन और निर्देशों का अध्ययन करना आवश्यक है।

3.10. इस सूचना बुलेटिन में दिए निर्देश एनबीईएमएस द्वारा समय-समय पर लए गए निर्णयों के आधार पर बदले जा सकते हैं। अपडेट के लए कृपया एनबीईएमएस वेबसाइट www.natboard.edu.in देखें।

3.11. प्रत्यायन के लए मौजूदा अनुसूची, पैटर्न, नीति और दिशानिर्देश केवल तत्काल संदर्भ के लए हैं, ले कन इस तथ्य को इस तरह से नहीं लया जाना चाहिए क एनबीईएमएस भ वष्य में भी इसका पालन करने के लए बाध्य है। पात्रता के निर्धारण/मान्यता प्रदान करने/सूचना बुलेटिन में निहित कसी भी जानकारी के संबंध में कसी भी निर्देश/नियमों/नियमों/मानदंडों की व्याख्या में कसी भी अस्पष्टता के मामले में, एनबीईएमएस की व्याख्या अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगी। एनबीईएमएस कसी भी मानदंड/खंड को श थल करने का अ धकार सुर क्षत रखता है, यदि ऐसा नए/नवीकरणीय मान्यता प्रदान करने के मामले में उ चत समझा जाए तो।

3.12. मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठी जानकारी या गढ़े गए रिकॉर्ड प्रस्तुत करने से मान्यता के लए अयोग्यता हो सकती है और भ वष्य में भी मान्यता प्राप्त करने से वं चत कया जा सकता है।

3.13. एनबीईएमएस के साथ मान्यता प्राप्त करने वाले आवेदक अस्पतालों/संस्थानों के आवेदन जो निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें एनबीईएमएस द्वारा पूर्व-मूल्यांकन चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जा सकता है।

3.14. एनबीईएमएस द्वारा प्रत्यायन का अनुदान वशुद्ध रूप से अनंतिम है और प्रत्यायन समझौते में बताए गए नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है। इसकी एक प्रति अस्पताल को NBEMS द्वारा प्रत्यायन मलने के बाद भेजी जाएगी।

3.15. आवेदक अस्पताल/संस्थान कृपया ध्यान दें क आवेदन को तैयार करने, प्रारूपण करने, जमा करने और/या आवेदक अस्पताल/संस्थान का प्रतिनि धित्व करने के उद्देश्य से कसी भी एजेंट या एजेंसी या कसी भी पक्ष का उपयोग जो आवेदक अस्पताल/संस्थान का कर्मचारी या पदा धकारी नहीं है, का उपयोग करना सख्त वर्जित है। एनबीईएमएस के संज्ञान में इस तरह के उदाहरण लाए जाने की स्थिति

में, एनबीईएमएस के पास आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज करने के अलावा आगे की कार्रवाई का अपना पूर्ण अ धकार सुर क्षत है, जिसमें भ वष्य में मान्यता प्राप्त करने के लए आवेदन दा खल करने से रोक लगाना शा मल है, ले कन यह इसी तक सी मत नहीं है।

3.16. आवेदक अस्पताल द्वारा दिए गए बयानों को संस्थान के प्रमुख द्वारा उपयुक्त स्थान पर प्रमा णत कया जाएगा और आवेदन में कए गए दावों को संबं धत दस्तावेज (दस्तावेजों) द्वारा सम र्थत कया जाएगा।

3.17. अस्पताल/संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संक लत नहीं पाए जाने पर प्रोसेस नहीं कया जा सकता है ।

3.18. आवेदक अस्पतालों को आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करते समय सही, अद्यतन और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। एनबीईएमएस द्वारा मांगे जाने पर या आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदक अस्पतालों के संकाय या बुनियादी ढांचे में परिवर्तन होने पर आवेदक अस्पतालों द्वारा अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

3.19. आवेदनों की वशेषता/क्लबिंग में परिवर्तन के अनुरोध पर कसी भी परिस्थिति में वचार नहीं कया जाएगा।

3.20. इस सूचना बुलेटिन और ऑनलाइन प्रत्यायन आवेदन पोर्टल में निहित आवेदन पत्र को पूरा करने, छपाई और जमा करने के लए दिए दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र जमा कया जाना है।

3.21. एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए कसी अस्पताल/संस्थान की मान्यता के लए आवेदन निम्न ल खत अनुसूची के अनुसार वर्ष में दो बार आमंत्रित कए जाएंगे:

- जनवरी/फरवरी आवेदन चक्र
- जुलाई/अगस्त आवेदन चक्र

3.22. कसी भी ववाद का न्याय क्षेत्र केवल नई दिल्ली में होगा।

B. ऑनलाइन प्रत्यायन आवेदन पोर्टल

3.23. आवेदक अस्पतालों/संस्थानों को नीचे बताए गए चरणों के अनुसार ऑनलाइन प्रत्यायन आवेदन पोर्टल (ओएएपी) के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

- Create a User – *Online (Click here for details)*

- Create a profile of the applicant hospital – *Online. The hospital profile will be verified by NBEMS. The applicant hospital cannot submit the application unless the profile is verified by NBEMS. (Click here for details)*

- Fill the online application form – *(Click here for details)*

- Complete the application form and upload Annexure - *Online*

- Fee payment through online payment portal – *Online*

- Print and submit the hard copy of the Application form – *Offline*

C. आवेदन संकलन और सबमिशन

3.24. आवेदन जमा करना दो-चरणीय प्रक्रिया है जिसमें शामिल हैं::

- आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना जैसा कि पैरा 3.23 में बताया गया है
- आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना जैसा कि पैरा 3.25, 3.26 और 3.27 . में बताया गया है

3.25. आवेदन पत्र सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा करने पर, अस्पताल आवेदन पत्र और अपलोड किए गए अनुलग्नकों का प्रिंट आउट लेने में सक्षम होगा।

3.26. आवेदक अस्पताल को आवश्यक अनुलग्नकों, कवरिंग पत्र और भुगतान रसीद के साथ आवेदन पत्र के विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित हार्ड कॉपी प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता होगी।

3.27. आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 31/05/2022 तक निम्नलिखित पते पर NBEMS कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सेवा में,
प्रत्यायन विभाग
आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड,

मे डकल एन्क्लेव,
अंसारी नगर, नई दिल्ली -110029T

हार्ड कॉपी जमा किए बिना आवेदन पत्र को ऑनलाइन जमा करने भर से आवेदन जमा किया हुआ नहीं माना जाएगा ।

D. प्रत्यायन शुल्क

3.28. आवेदक अस्पताल / संस्थान जो किसी भी विशेषता में मान्यता के नए सिरे से मान्यता या नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं, उन्हें प्रत्येक विशेषता के लिए रु० 2,00,000/- प्लस जीएसटी @ 18% का एक मान्यता शुल्क देना होगा। प्रत्येक विशेषता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुल्क रु० 3,000/- प्लस जीएसटी @ 5% है।

प्रत्येक आवेदन पत्र के लिए भुगतान किया जाने वाला आवेदन शुल्क नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 3

प्रत्येक विशेषता के लिए प्रत्यायन शुल्क	₹ 2,00,000/-*
प्रत्यायन शुल्क पर जीएसटी @ 18%	₹ 36,000/-
आवेदन पत्र शुल्क	₹ 3,000/-
प्रत्यायन आवेदन पत्र शुल्क परजीएसटी @ 5%	₹ 150/-
प्रति विशेषता भुगतान किया जाने वाला कुल शुल्क	₹ 2,39,150/-

* रक्षा संस्थानों को रुपये 2,00,000/- की प्रत्यायन शुल्क जमा करने से छूट दी गई है। हालांकि, आवेदन पत्र शुल्क रु० 3,000/- + जीएसटी @ 5% का भुगतान करना होगा।

3.29. आवेदक अस्पताल/संस्थान उपरोक्त शुल्क का भुगतान केवल एनबीईएमएस के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। किसी अन्य पोर्टल के माध्यम से किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.30. आवेदन पत्र को केवल तभी सफलतापूर्वक जमा माना जाएगा जब एनबीईएमएस को प्रत्यायन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान किया गया हो। किसी भी लेन-देन की विफलता या लेन-देन की प्रक्रिया में देरी के लिए एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा।

3.31. प्रत्यायन शुल्क की *आंशिक वापसी* निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकार्य है::

तालिका 4

प्रत्यायन शुल्क की वापसी स्वीकार्यता*	नियम एवं शर्तें
कुल शुल्क का 90%#	• यदि एनबीईएमएस को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के 4 सप्ताह के भीतर आवेदक अस्पताल/संस्थान द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है। • अपूर्ण आवेदन जिसे विस्तृत विवरण दिए बिना "पूर्व-मूल्यांकन प्रसंस्करण" के दौरान सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाता है।
प्रत्यायन शुल्क की वापसी स्वीकार्यता*	नियम एवं शर्तें
कुल शुल्क का 50%#	• यदि एनबीईएमएस को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के 4 सप्ताह के बाद लेकिन एनबीईएमएस द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवेदक विभाग के मूल्यांकन से पहले आवेदक अस्पताल / संस्थान द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है। • यदि न्यूनतम प्रत्यायन मानदंड को पूरा न करने के कारण आवेदन पूर्व-मूल्यांकन स्तर (एनबीईएमएस द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा विभाग के मूल्यांकन से पहले) को अस्वीकार कर दिया जाता है और/या अस्पताल निर्धारित समय के भीतर (यदि आवश्यक हो) एनबीईएमएस द्वारा अस्पताल को पूर्व-मूल्यांकन स्थिति मे बताए गए कमियों के बारे में निश्चित अनुपालन प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
कोई वापसी स्वीकार्य नहीं होगी	• एनबीईएमएस द्वारा एक बार आवेदक विभाग का मूल्यांकन कर दिया गया हो।

* आवेदन पत्र शुल्क रु० 3,000/- + जीएसटी @ 5% (अर्थात कुल रु. 3150/-) किसी भी परिस्थिति में अप्रतिदेय है।

अस्पताल द्वारा भुगतान किया गया जीएसटी आनुपातिक रूप से वापस किया जाएगा। उदाहरण के लिए:

वापसी योग्य शुल्क	राशि	वापसी योग्य जीएसटी	कुल वापसी
प्रत्यायन शुल्क का 90%	₹ 1,80,000/-	₹ 32,400/-	₹ 2,12,400/-
प्रत्यायन शुल्क का 50%	₹ 1,00,000/-	₹ 18,000/-	₹ 1,18,000/-

3.32. प्रत्यायन शुल्क भविष्य की तारीख और/या किसी अन्य आवेदन के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

3.33. जीएसटी सहित प्रत्यायन शुल्क के भुगतान के बिना एनबीईएमएस को जमा किए गए आवेदन पत्र पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

E. आवेदन का प्रसंस्करण:

3.34. आवेदन प्रसंस्करण अनुक्रम निम्नानुसार है:

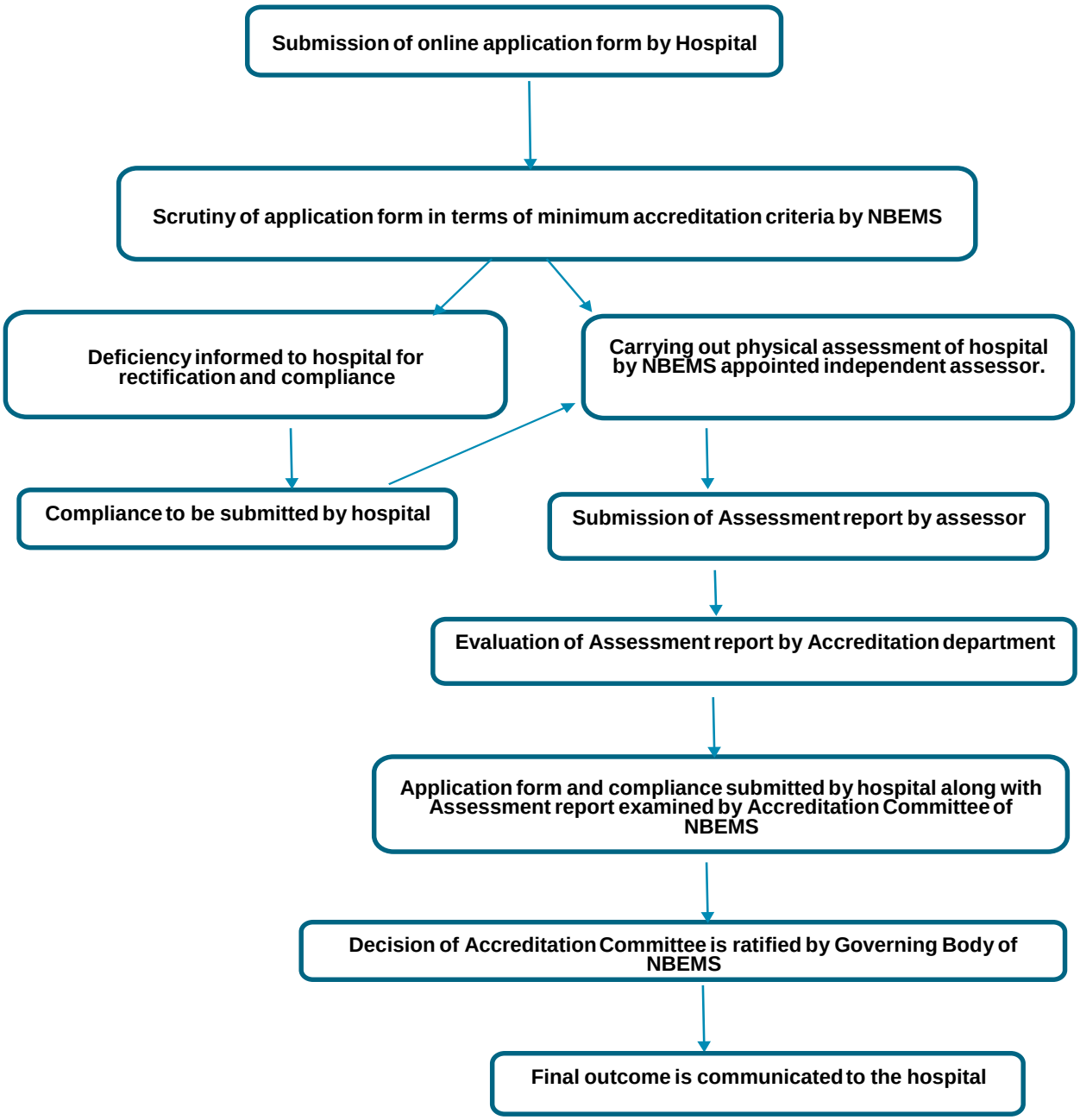

3.35. पूर्ण रूप से अपूर्ण आवेदन या न्यूनतम प्रत्यायन मानदंड को पूरा नहीं करने वाले आवेदनों को पूर्व निर्धारण स्तर पर अर्थात आवेदक अस्पताल का कोई भौतिक मूल्यांकन/निरीक्षण कए बिना बंद कर दिया जाएगा।

.3.36. पूर्व-मूल्यांकन क मयों का अनुपालन प्रस्तुत करना: आवेदक अस्पताल को आवेदनों के पूर्व-मूल्यांकन प्रसंस्करण में नोट की गई क मयों के अनुपालन को एनबीईएमएस को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

3.37. आवेदक अस्पताल का आकलन: एनबीईएमएस बुनियादी ढांचे, सु वधाओं, संकाय, रोगी भार (patient load) और अन्य संबं धत जानकारी के संबंध में अस्पताल के भौतिक मूल्यांकन/निरीक्षण करने के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करेगा। मूल्यांकन कार्यक्रम की सूचना आवेदक अस्पताल को 2 सप्ताह पहले दी जाएगी। एनबीईएमएस द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता के ववरण के साथ भौतिक मूल्यांकन की सही तारीख की सूचना आवेदक अस्पताल को मूल्यांकन/निरीक्षण की तारीख से 1-2 दिन पहले दी जाएगी।

आवेदक अस्पताल का आकलन: एनबीईएमएस बुनियादी ढांचे, सु वधाओं, संकाय, रोगी भार (patient load) और अन्य संबं धत जानकारी के संबंध में अस्पताल के भौतिक मूल्यांकन/निरीक्षण करने के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करेगा। मूल्यांकन कार्यक्रम की सूचना आवेदक अस्पताल को 2 सप्ताह पहले दी जाएगी। एनबीईएमएस द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता के ववरण के साथ भौतिक मूल्यांकन की सही तारीख की सूचना आवेदक अस्पताल को मूल्यांकन/निरीक्षण की तारीख से 1-2 दिन पहले दी जाएगी।

3.38. मूल्यांकन के बाद की प्र क्रया: एनबीईएमएस द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ अस्पताल द्वारा जमा कए गए आवेदन पत्र और दस्तावेज एनबीईएमएस प्रत्यायन स मति के समक्ष मामले को तय करने हेतु रखे जाएंगे।

3.39. प्रत्यायन स मति के निर्णय को एनबीईएमएस के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित कए जाने के बाद अस्पताल को सू चत कया जाएगा।

3.40. आमतौर पर आवेदन पत्र के प्रसंस्करण को पूरा करने में (एनबीईएमएस में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त होने की तारीख से शासी निकाय, एनबीईएमएस से अनुमोदन और आवेदक अस्पताल को अंतिम परिणाम के संचार तक) 6-9 महीने लगते हैं।

3.41. प्रत्यायन, यदि एनबीईएमएस द्वारा प्रदान कया जाता है, वशुद्ध रूप से अनंतिम है और पांच वर्ष तक की अव ध के लिए वैध है। एक बार जब आवेदक अस्पताल को कसी वशेषता में मान्यता प्रदान कर दी जाती है, तो अस्पताल को एक प्रत्यायन समझौते पर हस्ताक्षर करने जरूरी होंगे जिसमें मान्यता प्राप्त अस्पताल पर लागू व भन्न नियम और शर्तें शा मल हों। नमूना प्रत्यायन समझौते की एक प्रति अनुलग्नक 2 में देखी जा सकती है। आवेदक अस्पताल यह ध्यान रख सकता है क प्रत्यायन का अनुदान वशुद्ध रूप से अनंतिम है और प्रत्यायन समझौते का अनुपालन न करने पर एनबीईएमएस द्वारा प्रत्यायन वापस ले लया जाएगा।

3.42. प्रत्यायन की वार्षिक समीक्षा:

- एनबीईएमएस मान्यता चक्र के तीसरे वर्ष में मान्यता प्राप्त विभाग की वार्षिक समीक्षा करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पताल प्रत्यायन समझौते के नियमों और शर्तों का अनुपालन कर रहा है और न्यूनतम एनबीईएमएस मान्यता मानदंडों को पूरा कर रहा है।
- किसी विभाग की मान्यता प्राप्त पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीट को काउंसिलिंग सीट मैट्रिक्स से बाहर रखा जा सकता है यदि अस्पताल संबंधित विशेषता की वार्षिक समीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफल रहता है।

4. न्यूनतम प्रत्यायन मानदंड

(I). आवेदक अस्पताल

A. नैदानिक प्रतिष्ठान:

4.1. आवेदक अस्पताल/संस्थान एक नैदानिक प्रतिष्ठान होना चाहिए जिसमें न्यूनतम निर्धारित बिस्तरों की अपेक्षित अवसंरचना हो, जिसमें एक ही परिसर में व्यापक ओपीडी और आईपीडी आधारित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों। आवेदक अस्पताल के नाम पर मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदक अस्पताल के कई अस्पतालों/इकाइयों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और संकाय को किसी भी तरह इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।

4.2. एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विचार किए जाने से पहले आवेदक अस्पताल को नैदानिक प्रतिष्ठान में न्यूनतम 02 वर्ष के लिए स्थायी होना चाहिए। हालांकि, क्लिनिकल ऑपरेशन में 01 वर्ष पूरा करने के बाद अस्पताल एनबीईएमएस से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। लागू अधिनियमों और नियमों के तहत आवेदक अस्पताल के पंजीकरण के प्रमाण पत्र जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ नैदानिक संचालन में वर्षों की पुष्टि की जानी चाहिए। सहायक दस्तावेजों के साथ नैदानिक संचालन में न्यूनतम आवश्यक अवधि (अर्थात आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कम से कम 01 वर्ष) को प्रमाणित करने में विफलता के कारण आवेदन को बंद किया जा सकता है।

4.3. अनिवार्य विनियामक/लाइसेंस अनुमोदन और सभी वैधानिक आवश्यकताएं/अनुमति उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकरणों/राज्य सरकार/केंद्र सरकार/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणपत्र/नगर निगमों और विभिन्न परिषदों से प्राप्त की जानी चाहिए। आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना अस्पताल की

जिम्मेदारी होगी और एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा यदि अस्पताल किसी भी आवश्यक अनिवार्य प्रमाणन को प्राप्त करने या उसका पालन करने में विफल रहता है, जैसे कि:

- लागू अधिनियमों और नियमों के तहत अस्पताल के पंजीकरण का प्रमाण पत्र*
- जैव चिकित्सा (बायोमेडिकल) अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणपत्र*
- राज्य अग्निशमन विभाग से वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र
- भवन परिसर अधिभोग प्रमाणपत्र
- मूल कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र/सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- मेडिकल डायग्नोस्टिक उपकरणों (एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी स्कैन, लीनियर एक्सेलेरेटर आदि) के संचालन के लिए एईआरबी की मंजूरी।
- आवेदक अस्पताल के जैव चिकित्सा (बायो-मेडिकल) अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधिकृत एजेंसी को राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- अन्य नियामक अनुमोदन जो मान्यता प्राप्त करने हेतु लागू की गई विशेषता के लिए विनिर्दिष्ट हो सकते हैं।

B. आवेदक अस्पताल की बिस्तर क्षमता

4.4. कम से कम 100 परिचालन बिस्तर वाले अस्पताल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए एनबीईएमएस से मान्यता प्राप्त करने के पात्र हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 4 पर तालिका 2 में दर्शाया गया है। हालांकि, जो अस्पताल नेत्र विज्ञान के लिए अनन्य केंद्र हैं, उनमें नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए मान्यता हेतु विचार किए जाने के लिए न्यूनतम 10 परिचालन बिस्तर होने चाहिए।

4.5. अस्पताल में परिचालन बिस्तरों की कुल संख्या (जैसा कि प्रवर्तन में लाने के लिए अधिकृत होने का दावा किया गया है) को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से "संचालन के लिए सहमति" प्राधिकरण जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए।

4.6. दावा किए गए कुल बिस्तरों के संचालन की सहमति आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले एसपीसीबी द्वारा जमा की जानी चाहिए। बिस्तरों के विस्तार हेतु सहमति मांगने के लिए एसपीसीबी को प्रस्तुत किए गए आवेदन या एसपीसीबी द्वारा विस्तार के लिए दी गई सहमति के स्थान पर एसपीसीबी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संचालन के लिए सहमति पर विचार नहीं किया

जाएगा। सहायक दस्तावेजों के साथ अस्पताल में कुल परिचालन बिस्तरों की दावा की गई संख्या को प्रमा णत करने में वफलता आवेदन की समाप्ति को आमंत्रित

(II). आवेदक वभागों में आवश्यकताएँ

आवेदक वभाग/अस्पताल की वशेषता में बिस्तर:

4.7. जब क आवेदक अस्पताल में कम से कम 100 परिचालन बिस्तर (नेत्र वज्ञान में डप्लोमा को छोड़कर) होने चाहिए, आठ एनबीईएमएस डप्लोमा पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक के लए वशेषता / वभाग में बिस्तरों की आवश्यकता नीचे दी गई है:

एनबीईएमएस डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए बिस्तर और अन्य ढांचागत आवश्यकता

ता लका 5

वभाग	वभाग में आवश्यक न्यूनतम बिस्तर
• प्रसूति एवं स्त्री रोग	20 बिस्तर
• क्षय रोग और छाती रोग	20 बिस्तर
• बाल रोग	20 बिस्तर

• फ़ैमिली मेडिसिन	40 बिस्तर • सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग और बाल रोग में प्रत्येक में 10 बिस्तर। • फ़ैमिली मेडिसिन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए बिस्तर अन्य विशिष्टताओं के साथ ओवरलैप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए: सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, बाल रोग और प्रसूति एवं स्त्री रोग में प्रत्येक में 20 बिस्तरों वाला 150 बिस्तरों वाला अस्पताल सभी संबंधित विशिष्टताओं और फैमिली मेडिसिन में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त कर सकता है। • बाल रोग या सामान्य चिकित्सा विभाग फ़ैमिली मेडिसिन के लिए नोडल विभाग होगा।
विभाग	**विभाग में आवश्यक न्यूनतम बिस्तर**
• एनेस्थिसियोलॉजी • रेडियो निदान	नैदानिक विषयों और संबद्ध प्रयोगशालाओं और सुविधाओं में इष्टतम केस लोड का संदर्भ दिया जाता है। आवश्यक उपकरण और आवश्यक विशिष्ट विनिर्दिष्ट तौर-तरीके उपलब्ध होने चाहिए। कुछ विषयों में, आईपीडी सेवाओं और परिचालन बुनियादी ढांचे तक पहुंच का आकलन किया जाएगा। रेडियो निदान में एनबीईएमएस डिप्लोमा के लिए, रेडियो निदान विभाग अस्पताल का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और इसमें निम्नलिखित इमेजिंग तौर-तरीके होने चाहिए: • सीआर/डीआर • कलर डॉप्लर सहित अल्ट्रासाउंड • स्पाइरल/ मल्टी स्लाइस सीटी रेडियो निदान विभाग के पास एईआरबी/बायो-मेडिकल रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट/रेडिएशन फिजिक्स और रेडियोलॉजी वर्कस्टेशन जैसी सभी नियामक मंजूरी होनी चाहिए।
• नेत्र विज्ञान	10 बिस्तर
• ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी (ईएनटी)	10 बिस्तर

B. आवेदक वभाग/ वशेषज्ञता में संकाय

4.8. आवेदक अस्पताल के प्रत्येक आवेदक वभाग में न्यूनतम आवश्यक संकाय होना चाहिए।

4.9. डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए पात्र माने जाने के लए आवेदक वभाग में 01 वरिष्ठ सलाहकार या 02 कनिष्ठ सलाहकार होने चाहिए।

- वरिष्ठ सलाहकार: संबं धत वशेषता में एमडी/एमएस/डीएनबी या समकक्ष योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- कनिष्ठ सलाहकार : संबं धत वशेषता में एमडी / एमएस / डीएनबी या समकक्ष योग्यता प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- वशेषता में योग्यता आईएमसी/एनएमसी अ धनियम के प्रावधानों के अनुसार एक मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए।

4.10. व भन्न एनबीईएमएस डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए वरिष्ठ या कनिष्ठ सलाहकार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लए न्यूनतम पात्र योग्यता और अनुभव नीचे दिया गया है:

ता लका 6

डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए संकाय की न्यूनतम पात्र योग्यता और अनुभव			
व शष्टता	न्यूनतम पात्रता योग्यता(ऐ)	न्यूनतम अनुभव के बाद न्यूनतम योग्यता योग्यता में पीजी	
		वरिष्ठ सलाहकार	कनिष्ठ सलाहकार
एनेस्थि सयोलॉजी	डीएनबी/एमडी (एनेस्थि सयोलॉजी) या समकक्ष	5 वर्ष	2 वर्ष
प्रसूति एवं स्त्री रोग	डीएनबी/एमएस/एमडी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) या समकक्ष	5 वर्ष	2 वर्ष
नेत्र वज्ञान	डीएनबी/एमएस/एमडी (नेत्र वज्ञान) या समकक्ष	5 वर्ष	2 वर्ष
ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी (ईएनटी)	डीएनबी/एमएस (ईएनटी) या समकक्ष	5 वर्ष	2 वर्ष

बाल रोग	डीएनबी/एमडी (बाल रोग) या समकक्ष	5 वर्ष	2 वर्ष
रे डयो निदान	डीएनबी/एमडी (रे डयो निदान) या समकक्ष	5 वर्ष	2 वर्ष
क्षय रोग और छाती रोग	डीएनबी/एमडी (तपेदिक और सांस की बीमारियों /श्वसन रोग / पल्मोनरी मे ड सन) या समकक्ष	5 वर्ष	2 वर्ष
फ़ै मती मे ड सन	डीएनबी / एमडी / एमएस (फ़ै मली मे ड सन, सामान्य च कत्सा, बाल रोग, सामान्य सर्जरी या प्रसूति एवं स्त्री रोग) या समकक्ष	5 वर्ष	2 वर्ष

4.11. सभी आवेदक अस्पताल/फ़ै मली मे ड सन डप्लोमा पाठ्यक्रम संस्थान में सामान्य च कत्सा, सामान्य शल्य च कत्सा, बाल रोग और प्रसूति एवं स्त्री रोग में कम से कम एक संकाय होना चाहिए। एमडी/डीएनबी-फै मली मे ड सन वाले संकाय जनरल मे ड सन या बाल रोग के संकाय में से कसी एक का स्थान ले सकते हैं।

4.12. फ़ै मली मे ड सन में मान्यता के उद्देश्य से गने जाने वाले संकाय को भी उनकी संबं धत व शष्टताओं में मान्यता के लए संकाय के रूप में भी गना जाएगा। फै मली मे ड सन डप्लोमा कोर्स के लए संकाय के ओवरलै पंग की अनुमति है। उदाहरण के लए: बाल रोग डप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रयोजन के लए गने जाने वाले संकाय भी परिवार च कत्सा डप्लोमा पाठ्यक्रम के लए संकाय के रूप में पात्र होंगे।

4.13. आवेदक वभाग में प्रस्ता वत संकाय को एनबीईएमएस को आवेदन जमा करते समय निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। व धवत भरा हुआ घोषणा पत्र आवेदन पत्र को ऑनलाइन जमा करने के समय अपलोड कया जाना है।

संकाय घोषणा पत्र के प्रारूप के लए यहां क्लिक करें

4.14. आवेदक अस्पताल को संकाय घोषणा प्रपत्रों की प्रत्येक सामग्री की सत्यता को सत्या पत करना होगा और उसे सही के रूप में पृष्ठां कत करना होगा। घोषणा के गलत होने या बाद में इस घोषणा का कोई हिस्सा गलत या गलत होने की स्थिति में कसी भी गलत घोषणा या गलत बयान के लए आवेदक अस्पताल स्वयं संकाय के अलावा समान रूप से जिम्मेदार होगा।

4.15. संकाय की पूर्णका लक स्थिति: एनबीईएमएस मानदंड के अनुसार, आवेदक अस्पताल सलाहकार के काम करने का प्रमुख स्थान होगा, जिसे कार्यक्रम के लए संकाय के रूप में प्रस्ता वत कया गया है। संकाय को आवेदक अस्पताल में 'पूर्णका लक' काम करने की घोषणा करनी चाहिए और इसकी पुष्टि संकाय धोषणा पत्र में करनी होगी।

4.16. अंशका लक और अभ्यागत सलाहकार को डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए एक संकाय के रूप में नहीं माना जाएगा और आवेदक वभाग की मान्यता के उद्देश्य हेतु न्यूनतम आवश्यक संकाय मे गणना नहीं की जाएगी।

4.17. A) एनबीईएमएस दस्तावेजों के एक सेट के माध्यम से संबं धत अस्पताल में संकाय की पूर्णका लक स्थिति का सत्यापन करेगा, जिसमें संकाय का घोषणा पत्र, फॉर्म-16/16A, फॉर्म-26AS, वेतन/बैंक ववरण, उसका डेटा शा मल है, ले कन इन्हीं तक सी मत नहीं है। एनबीईएमएस द्वारा उ चत समझे जाने पर समझौते और शपथ पत्र या कोई अन्य दस्तावेज भी मांगा जा सकता है।

B) जमा कए जाने वाले दस्तावेज: आवेदक अस्पताल में पूर्णका लक रूप से कार्यरत प्रस्ता वत संकाय के समर्थन में आवेदक अस्पताल द्वारा निम्न ल खत दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

i. प्रस्ता वत संकाय का फॉर्म-16/16A TRACES वेबसाइट से डाउनलोड कया गया या नियोक्ता द्वारा प्रदान कया गया - प्रस्तुत कया जाना अनिवार्य है।

ii. द् वतीय प्रस्ता वत संकाय का फॉर्म-26AS TRACES वेबसाइट से डाउनलोड कया गया - वैकल्पिक

iii. द् वपक्षीय समझौता और हलफनामे - यदि प्रस्ता वत संकाय फॉर्म -26AS जमा करने के लए तैयार नहीं है, तो आवेदक अस्पताल को आवेदक अस्पताल में पूर्णका लक आधार पर प्रस्ता वत संकाय के काम करने के प्रमाण के रूप में एनबीईएमएस को एक द् वपक्षीय समझौता और हलफनामे जमा करना होगा। प्रत्येक प्रस्ता वत संकाय के लए एक अलग द् वपक्षीय समझौता और हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। द् वपक्षीय समझौता और शपथ पत्र डाउनलोड लंक के तहत https://accr.natboard.edu.in/ पर देखे जा सकते हैं।

द् वपक्षीय समझौते और हलफनामे देखने के लए यहां क्लिक करें

iv. त्रिपक्षीय समझौता और हलफनामे - आवेदक अस्पताल में संकाय सदस्य होने के मामले में, जो आवेदक अस्पताल/आउटसो सिंग एजेंसी (आवेदक अस्पताल द्वारा कार्यरत) के मूल कार्यालय से अपना फॉर्म-16/16A प्राप्त कर रहे हैं, आवेदक अस्पताल को एनबीईएमएस को एक त्रिपक्षीय समझौता और आवेदक अस्पताल में पूर्णका लक आधार पर प्रस्ता वत संकाय के काम करने के प्रमाण के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । त्रिपक्षीय समझौता और शपथ पत्र डाउनलोड लंक के तहत https://accr.natboard.edu.in/ पर देखे जा सकते हैं।

ऐसे संकाय सदस्यों को द् वदलीय समझौता और शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

त्रिपक्षीय समझौता और हलफनामे देखने के लए यहां क्लिक करें

a. आउटसो सिंग के आधार पर आवेदक अस्पताल में कार्यरत शक्षकों के लए
b. ऐसे संकाय के लए जिनका फॉर्म-*16* मूल कार्यालय द्वारा तैयार कया गया है, मूल कार्यालय का पता आवेदक अस्पताल के पते से अलग है

यदि आवेदक अस्पताल द्वारा एनबीईएमएस को उपरोक्त दस्तावेज जमा नहीं कए जाते हैं, तो मान्यता के प्रयोजन के लए संकाय पर वचार नहीं कया जाएगा।

4.18. संकाय की स्थिति में परिवर्तन**:** एक बार एनबीईएमएस से मान्यता प्राप्त आवेदक वभाग को हर समय न्यूनतम आवश्यक संकाय स्थिति बनाए रखना आवश्यक है। तथा प, कन्ही परिस्थितियों में यदि प्रत्यायन के समय उपस्थित संकाय को प्रतिस्था पत कया जाना है, तो इसे एनबीईएमएस को सू चत करते हुए 3 महीने के भीतर कया जाना चाहिए।

4.19. मान्यता प्राप्त अव ध के दौरान संकाय में कसी भी परिवर्तन के मामले में, केवल योग्य संकाय को ही छोड़े गए संकाय के प्रतिस्थापन के रूप में शा मल करना आवश्यक होगा। कसी भी कारण से संकाय की कमी के बारे में 15 दिनों के भीतर एनबीईएमएस को सू चत कया जाएगा। वैकल्पिक संकाय की नियुक्ति में वफलता के कारण चल रहे प्र शक्षुओं की मान्यता और स्थानांतरण वापस ले लया जाएगा। यह स्थिति आगे की मान्यता के लए अस्पताल / संस्थान को 'लाल झंडी' भी देगी।

मान्यता प्राप्त वभाग में नए शुरू कए गए संकाय को अतिरिक्त योग्यता पंजीकरण प्रमाणपत्र (एक्यूआरसी), फॉर्म 26AS / द् वपक्षीय समझौता / त्रिपक्षीय समझौता (पैरा 4.17), , मान्यता प्राप्त

अस्पताल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, पछले नियोक्ता से सेवामुक्ति पत्र जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना घोषणा पत्रजमा करना होगा।

4.20. आवेदक अस्पताल एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अपने पूर्णकालिक संकाय का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बनाए रखेगा जिसमें उनके पदनाम और अस्पताल में उपलब्धता की समय अवधि का उल्लेख होगा।

4.21. डिप्लोमा सीटों का अनुदान: न्यूनतम मान्यता मानदंड की पूर्ति के अधीन, संबंधित विशेषता में आवेदक अस्पताल को दी जा सकने वाली सीटों की अधिकतम संख्या इस प्रकार है:

तालिका 7

संकाय	अधिकतम डिप्लोमा सीटें *
1 वरिष्ठ सलाहकार	2
2 कनिष्ठ सलाहकार	2

* इस संबंध में एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम होगा।

4.22. डिप्लोमा प्रशिक्षुओं को बुनियादी विज्ञान पढ़ाने के लिए किसी संगम ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित संकाय प्रशिक्षु को अस्पतालों में स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संबंधित विशेषता के लिए लागू बुनियादी विज्ञान पढ़ाएंगे।

C. आवेदक विभाग/ विशेषज्ञता में रोगी भार (पेशेंट लोड)

4.23. आवेदक विभाग के पास ओपीडी पंजीकरण और / या आईपीडी प्रवेश में न्यूनतम आवश्यक रोगी भार (पेशेंट लोड) होना चाहिए जैसा कि नीचे दिया गया है। अस्पताल को आवेदन पत्र में पिछले 02 वर्षों के लिए विभाग में कुल रोगी भार (पेशेंट लोड) प्रस्तुत करना होगा।

4.24. सर्जिकल विषयों में, संबंधित विशेषता के लिए आवेदन पत्र में उल्लिखित विभाग द्वारा की गई बड़ी और छोटी सर्जरी के संदर्भ में पिछले 02 वर्षों के लिए सर्जिकल केस लोड का विवरण आवश्यक होगा। पिछले 02 वर्षों से विभाग में उपलब्ध क्लिनिकल/सर्जिकल डायग्नोसिस के स्पेक्ट्रम को आवेदन पत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.25. एनबीईएमएस सहायक दस्तावेजों जैसे एचआईएस रिकॉर्ड, ओटी रजिस्टर आदि के साथ प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तुत रोगी भार (पेशेंट लोड) डेटा को सत्यापित कर सकता है।

डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए रोगी भार (पेशेंट लोड) आवश्यकताएँ:

ता लका *8*

वभाग	प्रति वर्ष न्यूनतम रोगी भार (पेशेंट लोड़)
•बाल रोग •क्षय रोग और छाती रोग •ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी (ईएनटी)	• कुल ओपीडी: 2500 • कुल आईपीडी: 500
• प्रसूति एवं स्त्री रोग	• कुल ओपीडी: 2500 • कुल आईपीडी: 500 • आवेदक वभाग में प्रति वर्ष कुल 500 प्र क्रयाएं (मेजर और माइनर संयुक्त) की जानी चाहिए। 500 प्र क्रयाओं में से प्रसूति घटक 300 प्रति वर्ष और स्त्री रोग संबंधी घटक 200 प्रति वर्ष होगा। • आवेदक वभाग में प्रति वर्ष कम से कम 150 सामान्य योनि प्रसव होंगे।
वभाग	प्रति वर्ष न्यूनतम रोगी भार (पेशेंट लोड़)
• नेत्र वज्ञान	• ओपीडी: 2500 आईपीडी: मुख्य रूप से दैनिक देखभाल/सलाह आधारित वशेषता; पीजी शक्षण और प्र शक्षण का समर्थन करने के लए वभाग के पास पर्याप्त सर्जिकल केस लोड और निदान का स्पेक्ट्रम होना चाहिए। आवेदक वभाग प्रति वर्ष कम से कम 500 बड़ी सर्जरी करेगा।
• फ़ै मती मे ड सन	• कुल ओपीडी: 5000 • कुल आईपीडी: 1000 (इसमें जनरल मे ड सन, जनरल सर्जरी में ओपीडी और आईपीडी, बाल रोग और प्रसूति एवं स्त्री रोग लोड शा मल है,)

• एनेस्थि सियोलॉजी	• विभाग के पास पर्याप्त संख्या में ऑपरेशन थिएटर होंगे। निम्न लिखित विभाग इन-हाउस उपलब्ध होंगे: 1. प्रसूति एवं स्त्री रोग 2. जनरल सर्जरी/ऑर्थोपेडिक्स (कोई भी) 3. आईसीयू - सभी विशिष्टताओं को मिलाकर न्यूनतम 10 बेड का आईसीयू 4. नेत्र विज्ञान/ईएनटी (वांछनीय) 5. दर्द क्लिनिक (वांछनीय) पीजी शिक्षण और प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए विभागों के पास सभी आवश्यक तौर-तरीकों में पर्याप्त केस लोड और केस मिक्स (निदान का स्पेक्ट्रम) होना चाहिए
• रेडियो निदान	रेडियो निदान विभाग अस्पताल का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और इसमें निम्नलिखित इमेजिंग तौर-तरीके होने चाहिए: • सीआर/डीआर • रंग डॉप्लर सहित अल्ट्रासाउंड • स्पाइरल / मल्टी स्लाइस सीटी

D. भौतिक सुविधाएं और सहायक सेवाएं

4.26. बाह्य रोगी विभाग: आवेदक अस्पताल में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए:

- उचित अनुक्रमण (जैसे एचआईएस डेटा आदि) के साथ केंद्रीकृत और कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड रखने की सुविधाओं के साथ रोगियों का पंजीकरण।
- गोपनीयता के साथ रोगियों की जांच के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे।
- केस सम्मेलन कक्ष/ओपीडी क्षेत्र में शिक्षण कक्ष

4.27. रोगी विभाग: अस्पताल में डॉक्टर के ड्यूटी रूम के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए जिसमें शौचालय के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों, प्रत्येक बेड के लिए और बीच में, साइड लेबोरेटरी के लिए, क्लिनिकल जांच के लिए और क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस (वार्ड टी चंग) आदि के लिए अलग कमरा हो।

4.28. आपातकालीन चिकित्सा / गंभीर देखभाल: आवेदक अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल सेवाएं होनी चाहिए जिसमें पुनर्जीवन के लिए सहायक सुविधाओं के साथ पर्याप्त संख्या में बिस्तर हों और आपातकालीन सर्जरी ओ.टी., आईसीयू आदि सहित अच्छे चिकित्सा कवर हों।

4.29. ओटी कॉम्प्लेक्स**:** सर्जिकल व शष्टताओं में एनबीईएमएस के साथ मान्यता प्राप्त करने वाले अस्पतालों में होना चाहिए:

• ऑपरेशन थएटर की पर्याप्त संख्या: मॉड्यूलर/मेजर/माइनर

• ओटी, पोस्ट ऑप केयर क्षेत्र और गहन देखभाल इकाइयों में आवश्यक सर्जिकल और एनेस्थी सया उपकरण

• अस्पताल सेवा और उम्मीदवारों के प्र शक्षण दोनों के लए एनेस्थि सयोलॉजिस्ट

• अन्य संबद्ध स्वास्थ्य/पैरा मे डकल स्टाफ

• सर्जिकल आपात स्थिति/मरीजों की गंभीर देखभाल के लए गहन देखभाल इकाई

• पोस्ट-ऑपरेटिव वार्ड/रिकवरी एरिया

• एनबीईएमएस प्र शक्षुओं के प्र शक्षण के लए समुलेशन/कौशल लैब आधारित व्यावहारिक प्र शक्षण प्रावधान

4.30. सहायक सेवाएं**:** आवेदक अस्पताल में रोगी देखभाल के साथ-साथ एनबीईएमएस डप्लोमा प्र शक्षुओं के प्र शक्षण के लए आवश्यक सहायक सेवाओं के प्रावधान होने चाहिए जैसे:

• रे डयोलॉजी और आवश्यक इमेजिंग तौर-तरीके
• नैदानिक जैव रसायन
• नैदानिक रु धर वज्ञान
• क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी
• सर्जिकल पैथोलॉजी/हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी
• ब्लड बैंक/भंडारण
• योग्य आहार वशेषज्ञ के साथ डायटेटिक्स वभाग
• सीएसएसडी
• मे डकल रिकॉर्ड वभाग
• आवेदक वभाग के लए आवश्यक कोई वशेष नैदानिक या च कत्सीय सहायता सेवा

5. प्रत्यायित अस्पताल के लिए दिशानिर्देश

A. प्रशिक्षु द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क:

5.1. एनबीईएमएस द्वारा अपने पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित और प्रशिक्षु द्वारा देय वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क इस प्रकार है:

तालिका 9

मद	वार्षिक शुल्क(भारतीय रु0 में)
ट्यूशन शुल्क	75,000/-
पुस्तकालय शुल्क	15,000/-
वार्षिक मूल्यांकन शुल्क	15,000/-
आवास शुल्क	20,000/-
कुल	1,25,000/-

- ट्यूशन फीस: ट्यूशन फीस मान्यता, संस्थागत डीएनबी कार्यालय, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन, प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान खर्च, अतिथि व्याख्यान, प्रशासनिक सहायता खर्च के लिए किए गए खर्च को कवर करेगी।

- पुस्तकालय शुल्क: पुस्तकालय शुल्क में जर्नल की सदस्यता और प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यपुस्तकों की खरीद के लिए अस्पताल द्वारा किए गए प्रावधान शामिल होंगे।

- वार्षिक मूल्यांकन शुल्क: मूल्यांकन शुल्क में प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन और परीक्षक पारिश्रमिक के उद्देश्य से की गई व्यवस्थाएं शामिल होंगी।

- आवास शुल्क: संस्थागत नीति के आधार पर अस्पताल द्वारा वास्तविक आधार पर बिजली और अन्य उपभोग्य सामग्रियों का शुल्क लिया जा सकता है। यदि मान्यता प्राप्त अस्पताल प्रशिक्षुओं को आवास उपलब्ध नहीं करा रहा है तो आवास शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

5.2. वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क एक प्रशिक्षु की संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए वार्षिक आधार पर एनबीईएमएस द्वारा एकत्र किया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क और शुल्क दिशानिर्देश सार्वजनिक सूचना दिनांक 15-01-2021 के अनुसार होंगे और अनुबंध 3 में देखे जा सकते हैं। संबंधित मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान को पाठ्यक्रम शुल्क का संवितरण उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार होगा।

5.3. प्रत्यायित अस्पताल के पटेशन शुल्क, सुरक्षा जमा, सुरक्षा बांड, और नकद, साव ध जमा, बैंक गारंटी, और कसी भी साधन द्वारा समझौते के रूप में कोई अन्य शुल्क नहीं ले सकता है। तथा प, राज्य सरकार के स्वा मत्व वाले जिला अस्पताल एनबीईएमएस के पूर्वानुमोदन से सेवा बॉंड लागू कर सकते हैं।

B. वजीफ़ा दिशानिर्देश

5.4. डप्लोमा प्र शक्षुओं को वेतन देना अनिवार्य है।

5.5. एनबीईएमएस वजीफ़ा नीति के अनुसार, अस्पताल को डप्लोमा प्र शक्षु को एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित मूल वजीफ़ा या राज्य सरकार की नीति (जो भी अ धक हो) के अनुसार मूल वजीफ़ा देना होगा:

पोस्ट एमबीबीएस डप्लोमा के लए एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित न्यूनतम वजीफ़ा:

ता लका *10*

डीएनबी प्र शक्षण का वर्ष	वजीफ़ा (INR में) प्रति माह
प्रथम वर्ष	35,000/-
द् वतीय वर्ष	37,000/-

5.6. पैरा 5.2 में "राज्य सरकार की नीति के अनुसार मूल वजीफ़ा" वाक्यांश की व्याख्या व भन्न राज्यों के लए नीचे दी गई ता लका के अनुसार की जानी चाहिए:

ता लका 11

राज्यों की श्रे णयाँ	एनबीईएमएस वजीफ़ा दिशानिर्देशों में "राज्य सरकार की नीति के अनुसार मूल वजीफ़ा" वाक्यांश की व्याख्या निम्नानुसार की जानी चाहिए:
	एनबीईएमएस डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए
वे राज्य जहां राज्य सरकार के मे डकल कॉलेजों के एमडी/एमएस और डीएम/एमसीएच प्र शक्षुओं को वजीफ़ा का भुगतान समे कत रा श के रूप में कया जाता है (मूल वजीफ़ा और भत्तों के कसी भी ब्रेक-अप के बिना)	राज्य सरकार के मे डकल कॉलेजों के एमडी/एमएस प्र शक्षुओं को भुगतान की गई समे कत रा श

जिन राज्यों में राज्य सरकार के मे डकल कॉलेजों के एमडी/एमएस और डीएम/एमसीएच प्र शक्षुओं को भुगतान कया गया वजीफ़ा "मूल वजीफ़ा प्लस व भन्न भत्ते" के रूप में संर चत है और 7 वें सीपीसी की सफारिशों के अनुसार भुगतान कया गया है	सातवें सीपीसी का वेतन स्तर 10* प्र शक्षुओं के उद्देश्य के लए प्रथम और द् वतीय वर्ष के डप्लोमा प्र शक्षुओं को प्रथम और द् वतीय वर्ष के डीएनबी प्र शक्षुओं के समान माना जाना चाहिए। सातवें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 10 के सेल 1 और 2 क्रमशः प्र शक्षण के पहले और दूसरे वर्ष के अनुरूप हैं।

* इसमें कसी भी प्रकार का भत्ता शा मल नहीं है जैसा क संबं धत राज्यों में एमडी / एमएस उम्मीदवारों को भुगतान कया जा सकता है। यह प्रत्यायित अस्पतालों को एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित न्यूनतम रा श से अ धक और कसी भी भत्ते का भुगतान करने के लए स्वतंत्र है।

5.7. संबं धत राज्य सरकार द्वारा भुगतान कए गए मूल वजीफ़ा की समानता को बनाए रखा जाना चाहिए और वजीफ़ा की दरों को समय-समय पर संशो धत कया जा सकता है।

5.8. एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त अस्पताल डप्लोमा प्र शक्षुओं को एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित न्यूनतम वजीफे से अ धक मा सक वजीफ़ा देने के लए स्वतंत्र हैं।

5.9. यह भी वांछनीय है क यदि अस्पताल उनके प्र शक्षुओं को उनके वजीफ़ा के अलावा आवास प्रदान करता है, तथा प, अस्पताल आवास उपलब्ध कराने के एवज में प्र शक्षुओं के वजीफ़ा को कम नहीं करेगा।

C. आवेदक अस्पताल के पदा धकारी

5.10. आवेदक अस्पताल डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए अपने कर्मचारियों में से निम्न ल खत अ धकारियों को ना मत करेगा:

i. संस्थान के प्रमुख / मुख्य च कत्सा अधीक्षक / च कत्सा अधीक्षक / सीएमओ प्रभारी / स वल सर्जन / निदेशक: एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लए नोडल अ धकारी।

ii. एनबीईएमएस कार्यक्रम समन्वयक (संपर्क का एकल बिंदु- एसपीओसी): वह प्रबंधन या अकाद मक स्टाफ से संसाधन व्यक्ति होगा जो डप्लोमा पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन से संबं धत एनबीईएमएस के साथ संवाद करेगा। एनबीईएमएस से संचार एसपीओसी को भेजा जाएगा।

एसपीओसी 5.14 और 5.16 पर इं गत अस्पताल क र्मयों के परामर्श से एनबीईएमएस के साथ प्रत्यायन के लए आवेदन पत्र भरने के लए जिम्मेदार होगा।

iii. वभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय/प्रभारी: एनबीईएमएस डप्लोमा पाठ्यक्रमों से संबं धत एनबीईएमएस के साथ आवेदक वभाग/वरिष्ठ संकाय/प्रभारी के ना मत प्रमुख सभी प्रशासनिक औपचारिकताओं (जैसे क संकाय घोषणा प्रपत्रों का सत्यापन, आवेदन पर हस्ताक्षर/आवेदक वभाग की ओर से व भन्न दस्तावेज आदि) के लए जिम्मेदार होंगे। वह एनबीईएमएस प्र शक्षुओं के अकाद मक और ड्यूटी/पोस्टिंग रोस्टर का निर्णय करेगा।

5.11. यह अनिवार्य है क आवेदक अस्पताल एनबीईएमएस डप्लोमा पाठ्यक्रमों के लए उपरोक्त पदा धकारियों को ना मत करे और एनबीईएमएस प्र शक्षुओं के लाभ के लए अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर संपर्क टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी के साथ इसे प्रमुखता से इं गत करे।

D. शकायत निवारण स मति (प्रत्यायित अस्पताल)

5.12. एनबीईएमएस प्र शक्षुओं और एनबीईएमएस प्रत्यायित अस्पतालों के बीच कार्यस्थल आधारित मुद्दों को संबो धत करने के लए, प्रत्येक प्रत्यायित अस्पताल में अनिवार्य रूप से एक शकायत निवारण स मति का गठन कया जाना चाहिए।

5.13. प्रत्यायित अस्पतालों को नीचे दिए गए ववरण के अनुसार इस स मति का गठन करना होगा और डीएनबी, एफएनबी और डप्लोमा प्र शक्षुओं की शकायतों को दूर करने के लए कए गए प्रावधानों को व्यापक रूप से सू चत करना होगा।

ता लका 12

क्र. सं.	सदस्य	भू मका
1	संस्थान के प्रमुख/मुख्य च कत्सा अधीक्षक/ च कत्सा अधीक्षक/सीएमओ प्रभारी/ स वल सर्जन/निदेशक।	अध्यक्ष
2	च कत्सा वशेषता (इन-हाउस) से वरिष्ठ संकाय।	सदस्य
3	सर्जिकल स्पेश लटी (इन-हाउस) से वरिष्ठ संकाय।	सदस्य
4	अस्पताल के एनबीईएमएस कार्यक्रम समन्वयक/एसपीओसी।	सदस्य
5	अस्पताल में च कत्सा अधीक्षक / वभागाध्यक्ष या समकक्ष।	सदस्य
6	अस्पताल के एनबीईएमएस प्र शक्षुओं के प्रतिनि ध।	सदस्य

7	सरकारी मेडिकल कॉलेज (या समकक्ष) में प्रोफेसर के पद स्तर के बेसिक साइंस बैकग्राउंड वाले बाहरी चिकित्सा विशेषज्ञ।	सदस्य
शिकायत निवारण समिति के सदस्यों में से एक महिला होगी और सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि होगा।		

5.14. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:

- अस्पताल के खिलाफ एनबीईएमएस प्रशिक्षण से संबंधित पंजीकृत एनबीईएमएस उम्मीदवारों की शिकायतों पर ध्यान देना।
- अस्पताल के पंजीकृत एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं के खिलाफ डिप्लोमा प्रशिक्षण से संबंधित अनुशासनात्मक मुद्दों में भाग लेना।
- एनबीईएमएस स्तर पर निवारण के लिए उठाए गए मामलों में एनबीईएमएस को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5.15. डिप्लोमा प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी शिकायत पर इस समिति द्वारा ध्यान दिया जाएगा। इस तरह के मामले पर सामान्य रूप से एनबीईएमएस द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, हालांकि, यदि शिकायतकर्ता अस्पताल शिकायत निवारण समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे मामलों को एनबीईएमएस द्वारा आगे के निर्णय के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

6. प्रत्यायन उद्देश्यों के लिए संचार प्रोटोकॉल

6.1. प्रत्यायन संबंधी प्रश्नों के लिए चुनिंदा तरीका ईमेल होगा। ईमेल accr@natboard.edu.in पर भेजे जा सकते हैं।

6.2. आम तौर पर, टेलीफोन के माध्यम से पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा; टेलीफोनिक पूछताछ के मामले में निम्नलिखित जानकारी किसी भी परिस्थिति में प्रकट नहीं की जाएगी:

- फ़ाइल का आंतरिक संचलन
- प्रत्यायन प्रदान करने/अनुदान न करने के संबंध में एनबीईएमएस का निर्णय
- किसी का कोई दावा/काउंटर दावा
- एनबीईएमएस बैठकों की तिथि और स्थान या एनबीईएमएस अधिकारियों या पदाधिकारियों के नाम
- कोई भी जानकारी जो एनबीईएमएस की राय में प्रकट नहीं की जा सकती है।

6.3. संचार केवल तभी संसाधित किया जाएगा जब वह निम्नलिखित द्वारा जारी किया गया हो:

- संस्थान के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ प्रभारी/ सर्वेसर्जन/निदेशक
- एसपीओसी. एसपीओसी में किसी भी बदलाव के मामले में, अस्पताल को पहले ओएएपी पर नए एसपीओसी के विवरण को अपडेट करना होगा, इससे पहले एनबीईएमएस द्वारा नए एसपीओसी के साथ पत्राचार स्वीकार किया जा सकता है।

6.4. आवेदक संस्थान/अस्पताल के प्रतिनिधि, सहयोगी या अधिकारी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.5. संपर्क विवरण:

ईमेल आईडी:	accr@natboard.edu.in
पत्राचार का पता	आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, मेडिकल एन्क्लेव,अंसारी नगर, नई दिल्ली -110029

6.6. एनबीईएमएस के साथ प्रशिक्षुओं के पंजीकरण और परामर्श संबंधी मामलों से संबंधित प्रश्न क्रमशः reg@natboard.edu.in और counseling@natboard.edu.in पर भेजे जाने चाहिएं।

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड

मेडिकल एनक्लेव, महात्मा गांधी मार्ग

रिंग रोड़, नई दिल्ली-110029

PH: 011-45493000, Fax: 011-45593009

Email: accr@natboard.edu.in 29; Website: www.natboard.edu.in

ANNEXURE - 1

1848926/2020/MEP

90/95

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220942
CG-DL-E-08082020-220942

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2330] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942
No. 2330] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त 2020

का.आ. 2629(अ).—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप - धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अनुदत्त निम्नलिखित व्यापक विशेषज्ञता डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम) को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

एनेस्थिसियोलॉजी में डिप्लोमा: डी.ए. (एन.बी.ई.)	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
प्रसूति एवं स्त्री रोग में डिप्लोमा: डी. जी. ओ. (एन.बी.ई.)	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
बाल चिकित्सा में डिप्लोमा: डी. सी. एच्. (एन.बी.ई.)	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
पारिवारिक चिकित्सा में डिप्लोमा:	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान

3564 GI/2020 (1)

डी. एफ. एम. (एन.बी.ई.)	किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा: डी. ओ. (एन.बी.ई.)	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
ईएनटी में डिप्लोमा: डी.एल.ओ. (एन.बी.ई.)	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
रेडियो डायग्नोसिस में डिप्लोमा: डी. एम. आर. डी. (एन.बी.ई.)	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
क्षय रोग और छाती रोग में डिप्लोमा: डी. टी. सी. डी. (एन.बी.ई.)	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।

[सं.वी.11025/19/2014-एमईपी]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

S.O. 2629(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Board of Governors in supersession of Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule of the Act, namely:

The following Broad Specialty Diploma Courses (two year courses at post MBBS level) granted by the National Board of Examinations, New Delhi shall be inserted, namely

Diploma in Anesthesiology: DA(NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Obstetrics & Gynecology: DGO (NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Pediatrics: DCH (NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Family Medicine: DFam. Med. (NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Ophthalmology: DO (NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in ENT: DLO (NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Radio Diagnosis: DMRD (NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Tuberculosis & Chest Disease: DTCD (NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.

[No.V.11025/19/2014-MEP
NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Annexure 2

AGREEMENT

Accreditation with National Board of Examinations in Medical Sciences

- Terms & Conditions
- Certificate of Adherence

Post MBBS Diploma Course(s)

Hospital / Institute Name with Address

Period of Accreditation:

JANUARY 2021 to DECEMBER 2025

LIST OF ABBREVIATIONS

DNB	:	DIPLOMATE OF NATIONAL BOARD
DrNB	:	DOCTORATE OF NATIONAL BOARD
FNB	:	FELLOW OF NATIONAL BOARD
MoHFW	:	MINISTRY OF HEATH & FAMILY WELFARE
NMC	:	NATIONAL MEDICAL COMMISSION
MCI	:	MEDICAL COUNCIL OF INDIA
MoU	:	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
OAAP	:	ONLINE ACCREDITATION APPLICATION PORTAL
SPoC	:	SINGLE POINT OF CONTACT
SPCB	:	STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

UIN-57864320-23147D2020-NBEM

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

Ref. No. NBEMS/ACCR/Diploma/Granted/23147-D/2020/ Dated: 24-06-2021

Post MBBS Diploma Course(s)

INDEX

1. Accreditation: NBEMS Diploma Course
2. Approved Faculty & Seat(s) for the Course(s)
3. NBEMS Diploma Training
   - A. Selection of Candidates
   - B. Joining of Candidates
4. Approved Infrastructure, Facilities and Patient Load
   - A. The Accredited Hospital
   - B. Minimum required beds in the accredited hospital
   - C. Patient Load
5. Guidelines for Accredited Hospitals
   - A. Training Charges & Fee Guidelines
   - B. Stipend Guidelines
   - C. Comprehensive Training Support Guidelines
6. Communication Protocol with NBEMS for Accreditation Purposes
7. Effect of Agreement
   - A. Certificate of Adherence
   - B. Annual Review
   - C. Applying for Renewal of Accreditation
   - D. Withdrawal of Accreditation
   - E. Jurisdiction
8. Grievance Redressal Committee (Accredited Hospital)

Annexure - I: Public Notice for Training Charges & Fee Guidelines

Annexure - II: Certificate of Adherence

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

UIN-57864320-23147D2020-NBEM

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

Ref. No. NBEMS/ACCR/Diploma/Granted/23147-D/2020/ Dated: 24-06-2021

Post MBBS Diploma Course(s)

1. Accreditation: NBEMS Diploma Course

1.1. National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) is pleased to grant Provisional Accreditation for Post MBBS Diploma Course(s) at **Applicant Hospital Name With Address** _____ for a period of upto five (05) years i.e. **JANUARY 2021** to **DECEMBER 2025** to provide NBEMS Post MBBS Diploma training , as indicated in Para 2 of this accreditation agreement, subject to accepting the terms & conditions as indicated in this accreditation agreement document. Accreditation so granted shall be reviewed through Annual Reviews conducted by NBEMS during the accredited period to reaffirm that minimum standards as prescribed by NBEMS are maintained by the accredited hospital.

2. Approved Faculty & Seats for the Course(s)

2.1. Faculty & Seat(s) Status in the department:

(Accreditation Grant Period: **JANUARY 2021** to **DECEMBER 2025**)

Sr. No.	Specialty	Faculty in the Department	Accredited Seat(s) per annum
1	Obstetrics and Gynaecology-DGO (NBEMS)	Faculty Name With Qualification	1 (ONE)
2	Ophthalmology-DO (NBEMS)	Faculty Name With Qualification	2 (TWO)
		Faculty Name With Qualification	

2.2. Change in Faculty Status: The accredited department is required to maintain the minimum required faculty strength at all times. However, if the Faculty indicated above is to be replaced, the same be carried out within 3 months under intimation to the NBEMS. The hospital may refer to the latest Information Bulletin for Accreditation with NBEMS for criteria so prescribed for being an eligible faculty for NBEMS Diploma Course(s). In case of any change in faculty during the accredited period, only eligible faculty shall be inducted as a replacement of faculty who has left.

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

UIN-57864320-23147D2020-NBEM

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

2.3. Newly introduced faculty in the accredited department shall be required to submit his/her biodata in the prescribed format with supportive documents such as:

- **Additional Qualification Registration Certificate (AQRC)**
- **Form 16/16A, 26AS for respective assessment year**
- **Letter of appointment from the accredited hospital and relieving letter from last employer, if any.**

2.4. Proposed consultant(s) shall be added as NBEMS Diploma faculty on receipt of above mentioned documents and its acceptance by NBEMS.

2.5. Full time status of Faculty:

• **For Government/District Hospitals:** The faculty should be working full time in the hospital in accordance with the criteria/rules applicable to the concerned State/notified by the concerned State Government.

• **For Private/ other Hospitals:** The applicant hospital shall be the principal place of practice of the faculty in the department and working full time (6-8 hours per day) at the Applicant Hospital/Institution and the faculty shall have no other institutional attachments/affiliation with other hospitals/other units of the applicant hospital. However, the faculty are allowed to have their own private practice in a non-academic independent setup.

2.6. **Part time and visiting consultant shall not be considered as a faculty for the NBEMS Accredited programme and shall not be counted for the purpose of accreditation of the applicant department.**

2.7. NBEMS reserves its absolute rights to verify the full-time status of faculty and their qualifications in the applicant hospital through surprise assessment or on basis of evaluation of documents such as Form-16, Form-26AS, etc.

2.8. The faculty status in the department shall be reviewed annually with each Annual Review conducted by NBEMS. The hospital shall be required to confirm availability of minimum required faculty for continuation of accreditation during the provisionally accredited period. Details of newly introduced faculty in the department can be updated through ***Online Accreditation Application Portal (OAAP)***. Approved faculty status in the department shall be reflected on Online Accreditation Application Portal.

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

UIN-57864320-2314/D2020-NBEMS

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

Ref. No. NBEMS/ACCR/Diploma/Granted/23147-D/2020/ Dated: 24-06-2021

Post MBBS Diploma Course(s)

3. NBEMS Diploma Training

A. Selection of Candidates:

3.1. Selection will be done through NEET-PG.

a. It is absolutely binding on accredited hospitals to comply with the selection procedure for candidates as prescribed by NBEMS for Diploma courses.

B. Joining of Candidates:

3.2. Each selected candidate shall be given a prescribed time from the date of issuance of the allotment letter to report and join the allotted NBEMS accredited Medical College/Institution/Hospital.

3.3. Candidate has to begin his/her Diploma training as soon as he/she join the institute. Accredited hospital is required to submit the joining report of each candidate to NBEMS in prescribed format.

3.4. Joining of a candidate to NBEMS accredited institute through Centralized Merit Based Counseling is subject to medical fitness of the candidate as assessed/examined by the accredited hospital/ Institution. The medical examination of the candidate shall be done by the Medical Board of the concerned NBEMS accredited institute. Candidate found fit in the medical examination shall only be allowed to join Diploma course. NBEMS reserves its rights to take a final decision in the matter of the candidate being found unfit in medical examination and may undertake medical examination of candidate at its sole discretion.

3.5. All the accredited hospitals/institutions are advised to intimate the joining/non-joining of the candidates to NBEMS within stipulated time and take such steps as may be required to ensure compliance of NBEMS admission guidelines.

4. Approved Infrastructure, Facilities and Patient Load

A. The Accredited Hospital:

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

UIN-57864320-23147D2020-NBEMS

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

Ref. No. NBEMS/ACCR/Diploma/Granted/23147-D/2020/ Dated: 24-06-2021

Post MBBS Diploma Course(s)

4.1. The accredited hospital is required to impart Diploma training to its trainees only at the approved clinical establishment in a single campus infrastructure; facilities, faculty and patient load of which have been proposed for seeking accreditation and has been assessed by NBEMS for said purpose.

4.2. Any clubbing of infrastructure, facilities and faculty of non-accredited hospitals/units of the applicant hospital is not permitted for the purpose of imparting training to NBEMS Diploma trainees.

4.3. It shall be the responsibility of the accredited hospital that mandatory regulatory/licensing approvals and all statutory requirement/clearances from the local authority/government for running such establishment are timely renewed and maintained valid.

4.4. In case of any change in infrastructure/shifting of hospital premises to a new location or change of management/ownership of the hospital, NBEMS shall be updated in a timely manner and necessary approval shall be sought for continuation of accreditation.

B. Minimum required beds in the accredited hospital:

4.5. The accredited hospital shall be required to maintain the minimum number of beds as necessitated by NBEMS accreditation criteria for continuing NBEMS accreditation.

4.6. Failure to comply with the NBEMS accreditation norms and/or to timely update NBEMS of crucial changes in relation to approved infrastructure for NBEMS Diploma course(s) would entail withdrawal of accreditation.

4.7. With introduction of newer NBEMS Diploma course(s) in the same hospital, the approved bed strength of existing Diploma course(s) shall not suffer.

C. Patient Load:

4.8. The accredited department shall maintain the minimum required patient load in OPD registrations and/or IPD admissions as per applicable NBEMS criteria indicated in the Information Bulletin.

4.9. In surgical disciplines, the surgical case load and spectrum of diagnosis in the accredited department shall be required to be maintained to minimum prescribed standards

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

UIN-57864320-23147D2020-NBEMS

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

for continuing NBEMS Diploma accreditation.

4.10. Requisite support services and facilities for Diploma training shall be maintained during the period of accreditation.

5. Guidelines for Accredited Hospital

A. Training Charges & Fee Guidelines:

5.1. The training charges and fee guidelines shall be as per public notice dated: 15-01-2021 and can be seen at annexure I. The NBEMS trainees shall pay the annual course fee, for each year, directly to NBEMS. The annual course fee payable by an NBEMS trainee is as follows:

Fee	GST @ 18%	Total
Rs. 1,25,000/-	Rs. 22,500/-	Rs. 1,47,500/-*
*Payment gateway charges shall be borne by the NBEMS trainee		

5.2. The accredited hospital cannot charge any other fees like capitation fees, security deposit, security bond, and caution bond in the form of cash, fixed deposit, bank guarantee, and agreement by any instrument whatsoever. However, State Government owned District Hospitals applying under NBEMS Courses can implement a service bond with prior approval of NBEMS.

B. Stipend Guidelines

5.3. Paying monthly stipend to the NBEMS Post MBBS Diploma trainee is compulsory.

5.4. According to the NBEMS stipend policy, the hospital shall have to pay the NBEMS trainees a ***basic stipend*** as follows or ***basic stipend according to state government policy*** (whichever is higher):

NBEMS Post MBBS Diploma Course:

Year of Diploma Training	Stipend (in INR) per month
• First Year	35000/-

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

UIN-57864320-23147D2020-NBEM

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

Ref. No. NBEMS/ACCR/Diploma/Granted/2314/-D/2020/ Dated: 24-06-2021

Post MBBS Diploma Course(s)

•	Second Year	37000/-

5.5. The phrase *"basic stipend according to state government policy"* in aforesaid para should be interpreted for different states as detailed under:

Categories of States	The phrase *"basic stipend according to state government policy"* in NBEMS stipend guidelines should be interpreted as under:	
	For DNB Broad Specialty trainees	**For DNB Super Specialty & FNB trainees**
States where the stipend to MD/MS and DM/MCh trainees of State Govt Medical Colleges is paid as a *consolidated sum* (without any break-up of basic pay and allowances)	The consolidated sum paid to MD/MS trainees of State Govt Medical Colleges	The consolidated sum paid to DM/MCh trainees of State Govt Medical Colleges
States where the stipend paid to MD/MS and DM/MCh trainees of State Govt Medical Colleges is structured as a *"Basic pay plus various allowances"* and paid as per recommendations of 7th CPC	Pay level 10 of 7th CPC * {Cell 1, 2 and 3 of pay level 10 in pay matrix of 7th CPC correspond to first, second and third year of training respectively}	Pay level 11 of 7th CPC * {Cell 1, 2 and 3 of pay level 11 in pay matrix of 7th CPC correspond to first, second and third year of training respectively}

**This does not include any kind of allowances as may be paid to MD/MS candidates in respective states. The accredited hospitals are at liberty to pay any allowances over and above the minimum sum prescribed by NBEMS.*

5.6. The said stipend guidelines further require that parity to the basic stipend paid by respective State government should be maintained and rates of stipend may accordingly be periodically revised.

5.7. NBEMS accredited hospitals are required to comply with the NBEMS guidelines for payment of stipend. Failure to do so shall invite appropriate action as per applicable NBEMS norms including withdrawal of provisional accreditation and debarment from seeking accreditation in future for a period of upto 5 years from the date of revocation as decided by the NBEMS.

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

UIN-57864320-2314/D2020-NBEMS

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

5.8. 5.8. Stipend to NBEMS Diploma trainee shall be paid through electronic transfer only and shall not be paid in cash and/or kind.

C. Comprehensive Training Support Guidelines:

5.9. The accredited department should have facilities for thesis support, teaching aids, specimen, library facility and designated faculty members and staff that can take charge of the training programme and can also act as nodal authority for compliance of training programme.

5.10. 5.10. The applicant hospital shall designate the following authorities from its staff for NBEMS Diploma course(s):

- **Head of the Institute/ Chief Medical Superintendent / CMO In-charge /Civil Surgeon/ Director:** Nodal officer for compliance of the rules and guidelines governing the programme as prescribed by NBEMS.
- **NBEMS course Co-Ordinator (Single Point of Contact- SPoC):** He/She shall be the resource person either from the management or academic staff who shall communicate with NBEMS pertaining to smooth running of the Diploma courses. The communication from NBEMS shall be sent to SPoC. SPoC shall be responsible for filling up of the application form for accreditation with NBEMS in consultation with the hospital functionaries.
- **Head of the Department / Senior Faculty/ In-charge:** Designated head of the applicant department/Senior faculty/In-charge shall be responsible for all administrative formalities (such as verifying faculty declaration forms, signing applications/ various documents on behalf of the applicant department etc.) with NBEMS related to NBEMS Diploma courses. He/She shall be deciding the academic & duty/posting roster of NBEMS trainees.

6. Communication Protocol with NBEMS for Accreditation Purposes:

6.1. The preferred mode for handling the accreditation related query shall be by email. The emails may be sent to accr@natboard.edu.in

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

UIN-57864320-2314?D2020-NBEM

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

6.2. Ordinarily, telephonic query will not be entertained; in case of the telephonic query the following information shall not be revealed under any circumstances:

- *Internal movement of file*
- *Decision of NBEMS regarding grant/non-grant of accreditation*
- *Any claim/counter claim thereof*
- *Dates & venue of NBEMS meetings or name of the NBEMS officers or office bearers*
- *Any information which in the opinion of NBEMS can not be revealed.*

6.3. The accredited department shall be updated regarding accreditation related matters time to time through Online Accreditation Application Portal. It shall be the responsibility of the accredited hospital to get itself registered with the Online Accreditation Application Portal and remain abreast with the latest updates.

6.4. Communication shall only be processed if the same is issued by:

- Head of the Institute/ Chief Medical Superintendent / CMO In-charge /Civil Surgeon/ Director
- SPoC. In case of any changes in the SPoC, the hospital shall be required to first update the details of new SPoC on OAAP, before correspondence with new SPoC can be accepted by NBEMS.

6.5. Queries shall not be entertained from persons claiming themselves to be representative, associates or officiates of the applicant hospital.

6.6. Contact details:

Email ID:	accr@natboard.edu.in
Phone No:	011-45593060
Postal Address:	National Board of Examinations in Medical Sciences, Medical Enclave, Ansari Nagar, New Delhi -110029

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

UIN-57864320-2314/D2020-NBEMS

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

6.7. Queries related to registration of candidates and counselling related matters are to be sent at reg@natboard.edu.in and counseling@natboard.edu.in respectively.

7. Effect of Agreement:

A. Certificate of Adherence

7.1. The terms & conditions for accreditation agreement with NBEMS are detailed in this document. The accredited hospital is required to submit a Certificate of Adherence (Refer Annexure - II) to these terms & conditions.

7.2. A copy of this agreement duly agreed and accepted on each page shall be returned to NBEMS along with duly completed Certificate of Adherence within 7 days from the receipt/upload of this agreement, failing which the accredited seat(s) in the department may not be included in the Centralized Counseling.

7.3. NBEMS reserves its absolute rights to alter/modify/delete/amend any or all of the terms & conditions as given in this agreement or any of the terms governing the NBEMS Diploma Training course(s) including the schedule of entry/ exit examinations or any other item at any point of time.

7.4. The existing schedule, pattern, policy and guidelines for accreditation are for ready reference only but are not to be treated for the fact that the NBEMS is bound to follow the same in future.

7.5. In case of any ambiguity in interpretation of any of the instructions/terms / rules / criteria regarding the determination of eligibility / grant of accreditation/any of the information contained in the information bulletin/accreditation agreement, the interpretation of NBEMS shall be final and binding on all parties.

B. Annual Review

7.6. The grant of accreditation by NBEMS to a department for Diploma course is purely provisional and is governed by the terms and conditions as stated in the accreditation agreement and compliance to the same as verified in Annual Review of the department.

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

UIN-57864320-23147D2020-NBEM

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

7.7. NBEMS shall undertake an Annual Review of the accredited department in the 2nd, 3rd& 4th year of the accreditation cycle, to ensure that the hospital is complying with the terms & conditions of the accreditation agreement and is fulfilling the minimum NBEMS accreditation criteria.

7.8. The accredited NBEMS Diploma seat of a department may be excluded from the counseling seat matrix if the hospital fails to successfully complete the Annual Review of the concerned diploma specialty.

7.9. *Submission of Additional Information/Compliance other than annual review:* In addition to annual review, any information related to accreditation shall be furnished by the accredited hospital whenever sought by the NBEMS or if there are changes in the faculty or infrastructure of the accredited hospital pursuant to the grant of accreditation.

C. Applying for Renewal of Accreditation

7.10. The hospital is required to apply for further renewal of accreditation along with prescribed accreditation fee in the year of expiry of provisional accreditation as per calendar of accreditation applicable then. *For instance, if the NBEMS Accreditation to a hospital for Post MBBS Diploma Course is valid upto December 2025, then the hospital is required to apply for renewal of accreditation in January/February 2025 accreditation application session i.e. around 9-10 months prior to expiry of the ongoing accreditation.*

7.11. In case the renewal application is not submitted in the time frame stipulated, the application for renewal of accreditation will be treated as an application for seeking fresh accreditation.

7.12. The Online Accreditation Application Portal will indicate the year in which the renewal application for a particular department needs to be submitted to NBEMS.

D. Withdrawal of Accreditation

7.13. The accreditation granted to the department is purely provisional and is at the discretion of the NBEMS. It may be withdrawn, if at any time, it is found that, the hospital is not complying with the accreditation norms, not maintaining minimum required faculty, training facilities & infrastructure etc., as per the minimum accreditation criteria prescribed by NBEMS, or if the hospital is found not complying with any of the guidelines issued by

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

UIN-57864320-23147D2020-NBEM

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

NBEMS from time to time or the hospital has violated any of the terms and conditions as contained in this agreement.

7.14. If any stage it comes to the notice of NBEMS that the accredited department has resorted to submission of false information or fabricated records for the purpose of seeking accreditation, this may lead to withdrawal of accreditation and debarment from seeking accreditation in future as well.

7.15. In an unlikely event of an ineligible department being granted accreditation, NBEMS reserves its absolute right to revoke the accreditation so granted to the department.

7.16. NBEMS reserves its absolute right to take appropriate action including but not limited to withdrawal of provisional accreditation and debarment from seeking accreditation in future for a period of upto 5 years from the date of revocation and impose penalty as deemed fit by NBEMS against any institute for not adhering to guidelines / policies / directions and/or the terms of the instant provisional accreditation agreement or providing incorrect/false information in the Annual Review or withdrawal of seats from the seat matrix after the counseling process has started.

E. Jurisdiction

7.17. The jurisdiction for any disputes shall be at Delhi /New Delhi only.

8. Grievance Redressal Committee (Accredited Hospital):

8.1. To address work-place based issues between the NBEMS trainees and NBEMS accredited hospitals, a Grievance Redressal Committee to be mandatorily constituted at each of the accredited hospital.

8.2. The accredited hospitals shall be required to constitute this committee as per composition tabulated below and widely notify the provisions made for addressing grievances of the NBEMS trainees.

S.No.	Members	Role

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

UIN-57864320-23147D2020-NBEM

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

Ref. No. NBEMS/ACCR/Diploma/Granted/23147-D/2020/ Dated: 24-06-2021

Post MBBS Diploma Course(s)

1.	Head of the Institute/ Chief Medical Superintendent / CMO In-charge /Civil Surgeon/ Director.	Chairman
2.	Senior Faculty from Medical Specialty (In-House)	Member
3.	Senior Faculty from Surgical Specialty (In-House)	Member
4.	NBEMS programme Coordinator/SPoC of the hospital	Member
5.	Medical Superintendent/ HOD or equivalent in the hospital	Member
6.	Representative of NBEMS trainees of the hospital	Member
7.	External Medical Expert of the Rank of Professor of a Government Medical College (or equivalent) with Basic Science background	Member

8.3. The Terms of Reference for this committee shall be as under:

- To attend to grievances of registered NBEMS trainees related to NBEMS training against the hospital.
- To attend to disciplinary issues related to NBEMS training against registered NBEMS trainees of the hospital.
- To submit an action taken report to NBEMS in matters which are escalated for redressal at NBEMS level.

8.4. Any grievance related to Diploma training shall be attended by this committee. Such matters shall not ordinarily be entertained by NBEMS, however, if the complainant is not satisfied with the decision of the hospital Grievance Redressal Committee, such matters along with minutes of the meeting(s) of Grievance Redressal Committee of the concerned accredited hospital shall be forwarded to NBEMS for further adjudication in the matter.

9. Reservation for In-service candidates:

50% of the Diploma seats in the Government District hospitals shall be reserved for in-service candidates of the concerned State. The remaining 50% seats in the Government District hospitals shall be open seats to be filled on all India basis. Statutory reservation for SC, ST, OBC & PWD candidates shall be applicable for the Diploma seats in the Government hospitals. The Government District hospitals accredited for Diploma seats shall be required to maintain the reservation roster for SC/ST/OBC candidates at their own level / State level.

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

UIN-57864320-23147D2020-NBEM

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

Ref. No. NBEMS/ACCR/Diploma/Granted/23147-D/2020/ Dated: 24-06-2021

Post MBBS Diploma Course(s)

The certificate should be made on a Non Judicial Stamp Paper (duly notarized/attested by Magistrate) and submitted to National Board of Examinations in Medical Sciences.

I, Dr._____, am duly competent/authorized by the Trust/Society/Company/Institute named _____ to sign this agreement on its behalf and have read all the terms & conditions of this accreditation agreement.

I, Dr._____, hereby undertake that the terms & conditions indicated in the accreditation agreement for grant of accreditation to Post MBBS Diploma Course(s) in Obstetrics and Gynaecology- DGO (NBEMS), Ophthalmology- DO (NBEMS) vide Ref. No. NBEMS/ACCR/Diploma/Granted/_____/2020/ Dated: 24-06-2021, are agreed and accepted for compliance.

_____

Signature with official stamp of Authorized administrative signatory of this hospital

_____

Name of Authorized administrative signatory of this hospital

Complete Correspondence Address

_____

_____

Mobile Number:_____

Office Phone Number:_____

Agreed & Accepted By:

Signature: .....

Name: .....

Designation: .....

UIN-57864320-23147D2020-NBEM

(Please affix official stamp/seal of the hospital)

This is an electronically generated Bar-Coded document by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) and does not require signature.

Annexure 3

NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS
NEW DELHI

Dated: 15-01-2021

NOTICE

****

Kind Attn. : NBE accredited hospitals and all NBE trainees.

Subject : Payment of annual course fee by NBE trainees directly to NBE

1. NBE trainees undergoing training for various Broad Specialty (DNB), Super Speciaty (DrNB) and Fellowship courses (FNB) shall, henceforth, be required to pay the annual course fee, for each year, directly to NBE. This is applicable for all the years of training as tabulated below:

S. No.	Course Type	Duration of training (in years)
i.	Post MBBS Broad Specialty (DNB)	3
ii.	Post Diploma Broad Specialty (DNB)	2
iii.	Super Specialty (DrNB)	3
iv.	Fellowship (FNB)	2
v.	Post MBBS Direct six-years courses (DrNB)	6

2. NBE trainees shall no longer be required to pay the annual course fee directly to the hospitals where they are undergoing training.

3. The annual course fee payable by an NBE trainee is as follows:

Fee	GST @ 18%	Total
Rs. 1,25,000/-	Rs. 22,500/-	Rs. 1,47,500/-*

*Payment gateway charges shall be borne by the NBE trainee

4. The entire annual course fee is to be paid as one single transaction. Further, It is to be noted that the payment of GST, presently @ 18%, is mandatory as per government directives.

5. In case the hospital does not provide accommodation/ residential facilities, the NBE trainee is eligible to claim refund of the accommodation fee of Rs. 20,000/- per year directly from the concerned hospital.

6. The annual course fee shall be paid by the NBE trainees only through online mode, and only into the following bank account:

Bank Name	A/c No.	IFS Code	Bank Branch Address
Indian Bank	6626884509	IDIB000D046	Aggarwal Mall, 1st Floor, Ashirwad Chowk, Sector-5, Dwarka, New Delhi -110075

7. The receipt of the annual course fee payment to NBE, along with requisite details, shall mandatorily be sent by the NBE trainees to coursefee@natboard.edu.in in the following format within two weeks of the payment of the annual course fee:

Name of the trainee		
Specialty in which the training is being undertaken		
Name of the hospital		
Date of Joining of NBE training by the trainee		
Mobile Number		
Date of Transaction		
UTR No. of Transaction		
Amount		
Account Number and Bank IFS Code from which payment has been made	Account No.	IFS Code

8. NBE trainees may note that if they have paid the annual course fee directly to the hospital before issuance of this notice, proof of payment of such fees Directly to the concerned hospital, along with the details available at para 7 Is to be sent to coursefee@natboard.edu.in

9. The annual course fee, along with the GST, for each NBE trainee shall be Transferred by NBE to the concerned hospital in bi-annual instalments i.e. each Instalment shall be 50% of the annual course fee, along with GST.

10. Failure to pay the annual course fee to the NBE, and share the Requisite details as mentioned in paragraph 7, shall lead to de-registration and the candidature of the NBE trainee shall stand cancelled.

11. For any queries, please write to NBE at coursefee@natboard.edu.in

****

NBE